केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00064

संदर्भ संचिका सं . Nill

अपीलकर्ता श्री सिद्धनाथ दास

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nill
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	Nill
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	Nill
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.02.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	04.03.2025
निर्णय की तारीख	13.03.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"सदर सूचित करना है कि मैं दिनांक 11.11.2024 को द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग में दायर किया था जिसका डायरी सं 136700 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से दर्ज किया गया है। इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि डायरी सं 131243/2024 आयोग द्वारा वापस किया जाता है और डायरी नं 136699/14.11.2024 के द्वारा मेरा द्वितीय अपील वापस करते हुए वर्णित किया गया है कि आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते है तो उचित आवेदन शुल्क के साथ सूचना से संबंधित कार्यालय में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित करें। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है तहत सूचना देने की कृपया करेंगे की (i) गरीबी रेखा से नीचे हूँ इसलिए सूचना का फीस स्वरुप राशन कार्ड का छायाप्रति सभी सरकारी विभाग/कार्यालय, राज्य सूचना आयोग, व्यवहार

न्यायालय, माननीय उच्च न्यालयाया,माननीय सर्वोच्च न्यालयालय से राशन कार्ड की प्रति पर सूचना माँगा हूँ और मुझे सूचना दी गयी है किन्तु जिस अधिनियम के जिस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि उचित आवेदन शुल्क के साथ सूचना से संबंधित कार्यालय में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित को उसकी सूचना दे (ii) गरीबी रेखा से नीचे वाले आवेदकों के लिए जिस अधिनियम के जिस धारा के अंतर्गत राशन कार्ड की प्रति फीस के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग में स्वीकार नहीं है उसकी सूचना दे (iii) उन आवेदकों के नाम, पता की सूचना दे जो राशन कार्ड की प्रति पर द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग में दायर किये है और उस विभाग/कार्यालय /न्यायलय का नाम की सूचना दे जहाँ से सूचना की मांग दी गई है। सूचना का फीस स्वरुप राशन कार्ड की छायाप्रति सल्गन कर रहा हूँ जिसका नं 103771370023010900026."

2. प्रदान की गई सूचना

"अपीलकर्ता की आर.टी.आई को पंजीकृत ही नहीं किया गया है।"

3. प्रथम अपील का आधार

"लोक सूचना पदाधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से सूचना अप्राप्त है जिसके विरुद्ध प्रथम अपील करता हूँ।"

4. निर्णय

अपीलकर्ता ने पत्र दिनांक 30.12.2024 को एक पत्र भेजा था जिसके साथ अपीलकर्ता ने राशन कार्ड की कॉपी सल्गन की है जो की आर.टी.आई की फीस के लिए मान्य नहीं है। जबकि "सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना पाने के लिए, 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना होता है। यह शुल्क नकद, डिमांड ड्राफ़्ट, बैंकर्स चेक, या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होता। " इसलिए अपीलकर्ता के पत्र दिनांक 30.12.2024 को आर.टी.आई पंजीकृत नहीं किया है क्योंकि उसमे उचित फीस सल्गन नहीं थी। इस कारण ही अपीलकर्ता को कोई जानकारी नहीं दी गई। अतः अपीलकर्ता को आर.टी.आई के तहत फीस जमा करानी होगी तभी उचित जानकारी प्रदान की जा सकती है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 13.03.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

13-3-25

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
13 MAR 2025
D. No. ....
Initials..........